म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्थापना/717/2023-24/ 561 भोपाल, दिनांक 28/08/2023

<u>परिपत्र</u>

मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि किसी विषय संदर्भ में जांच इत्यादि की आवश्यकता के आधार पर गठित किये गये जांच /अंकेक्षण दल में संबद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी व्यक्तिगत कारण के आधार पर अवकाश स्वीकृति का औपचारिक आवेदन प्रेषित कर अवकाश पर गमन कर जाते है, जिसके कारण जांच इत्यादि की कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है, जो उचित नहीं है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि गठित जांच/अंकेक्षण दल में संबद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी बगैर सक्षम पूर्व अनुमोदन/स्वीकृति के किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

यदि अप्रत्याशित स्थितियों में अवकाश आवश्यक है, तो गठित दल में संबद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी जिस विषय संबंध में जांच/अंकेक्षण दल गठित किया गया है, उससे संबंधित प्रभाग के नियंत्रण अधिकारी से अवकाश का पूर्व अनुमोदन/ स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश का उपभोग कर सकेंगे।

अत:उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे, अन्यथा की स्थिति क्षम्य नहीं होगी ।

28/08/23
(श्रीमन् शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्थापना/717/2023-24/ 562 भोपाल, दिनांक 28/08/2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सहायक, आयुक्त सह प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
4. अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) ।
6. कार्यपालन यंत्री (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल .... (समस्त) ।
7. कार्यपालन यंत्री (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग .... (समस्त) ।
8. भारसाधक अधिकारी/ सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त)।
9. आदेश/परिपत्र नस्ती (समस्त शाखा), मंडी बोर्ड मुख्यालय।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल